



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2012/फाल्गुन 17, 1933

No. 96]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2012/PHALGUNA 17, 1933

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2012

सा.का.नि. 124(अ).— केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की अर्हताओं और अनुभव का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक (अर्हता और अनुभव) नियम, 2012 है।

(2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है ;

(ख) "मुख्य निरीक्षक", "उप मुख्य निरीक्षक" और "निरीक्षक" से अधिनियम के अधीन क्रमशः मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य विश्वविद्यालय" से केन्द्र या राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय या संस्था "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" द्वारा अनुमोदित, इंजीनियरी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा अनुमोदित प्राइवेट या सम विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3. (1) मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएं होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान में डिग्री ; और

(ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, उत्कीर्ण, प्रचालन, मरम्मत, परीक्षण, अनुसंधान या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय क्षमता में दस वर्ष का अनुभव ; या उप मुख्य निरीक्षक के रूप में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव ; या उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष का कुल अनुभव ; या निरीक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव।

(2) उप मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएं होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान में डिग्री ; और

(ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, उत्कीर्ण, प्रचालन, मरम्मत, परीक्षण, अनुस्क्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय क्षमता में छह वर्ष का अनुभव ; या निरीक्षक के रूप में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव ।

(3) निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएं होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान में डिग्री ; और

(ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, उत्कीर्ण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुस्क्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में तकनीकी कार्मिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव :

परंतु यह कि मुख्य निरीक्षक या उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्ति की अर्हता और अनुभव राज्य सरकार के विकल्प पर राज्य में विद्यमान भर्ती नियमों द्वारा शासित हो सकेगा ।

[फा. सं. 6(14)/2009-बायलर्स]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2012

G.S.R. 124(E).— In exercise of the powers conferred by section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the qualifications and experience of persons to be appointed as Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) " Chief Inspector", "Deputy Chief Inspector" and "Inspector" respectively, shall mean, a person appointed to be as a Chief Inspector, a Deputy Chief Inspector and an Inspector under the Act;

(c) "Recognized University or equivalent" means a Central or State funded University or Institution, Engineering College approved by "All India Council for Technical Education", Private or Deemed University approved by the University Grants Commission, Institution of Engineers.

3. (1) A person to be appointed as Chief Inspector shall have the qualification and experience, namely:-

(a) A degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized university or equivalent; and

(b) Ten years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 and rules and regulations framed thereunder; or minimum four years experience as Deputy Chief Inspector; or minimum eight years total experience as Deputy Chief Inspector and as Inspector; or minimum eight years experience as Inspector.

(2) A person to be appointed as Deputy Chief Inspector shall have the qualification and experience, namely:-

(a) A degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized university or equivalent; and

(b) Six years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 and rules and regulations framed thereunder; or minimum four years experience as Inspector.

(3) A person to be appointed as an Inspector shall have the qualification and experience, namely:-

(a) A degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized university or equivalent; and

(b) Two years experience as a technical personnel in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 and rules and regulations framed thereunder.

Provided that the qualification and experience of a person already working as a Chief Inspector or a Deputy Chief Inspector or an Inspector may be governed by the existing recruitment rules in the State as per the option of the State Government.

[F. No. 6(14)/2009-Boilers]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.